भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2178

(जिसका उत्तर, सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

संविधान की सातवीं अनुसूची की समीक्षा

2178. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त आयोग के अध्यक्ष ने प्राथमिकताओं और वैश्विक अंतर-निर्भरता के बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा और अवसंरचना सहित संविधान की सातवीं अनुसूची की समीक्षा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं किंतु टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून अविभावी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हाल में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव को ध्यान में रखते हुए अनुसूची की समीक्षा की मांग आसन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अपनी मुख्य रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैरा 5.42 (xii) में उल्लेख किया है कि वित्त आयोग द्वारा इस प्रभावी सिफारिश को संज्ञान में लेने के बाद, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिशों पर व्यवसाय कर की सीमाओं में आवधिक संशोधन को सक्षम बनाने हेतु बदलाव की दृष्टि से संघ सरकार संवैधानिक संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है।

(ग): संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं:

(1) यदि किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानूनी उपबंध संसद द्वारा बनाए गए किसी कानूनी उपबंध, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध एक मामले के संबंध में मौजूदा कानून के किसी उपबंध के विरूद्ध हैं, तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह उस राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद

में, जैसा भी मामला हो, पारित किया गया हो, मौजूदा कानून अभिभावी होगा और राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, असंगतता की सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) जहां किसी राज्य की विधायिका द्वारा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध एक मामले के संबंध में बनाए गए कानून में संसद द्वारा बनाए गए किसी पूर्व कानून या उस मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के विरूद्ध उपबंध हो, तो उस राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया वह कानून, यदि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो, और उनकी सहमति मिल गई हो, उस राज्य में अभिभावी रहेगा:

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद को कानून जोड़ने, संशोधन करने, उस राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को बदलने या निरस्त करने सहित किसी भी समय किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

(घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****